(111)

न्यायालय राजस्व बोर्ड ग्वालियर

प्र०कं०– PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/2384

1.राजेन्द्र कुमार पिता सौभागमलजी करनपुरिया जैन व्यवसाय– व्यापार
निवासी–धमोतर तहसील प्रतापगढ जिला चित्तोडगढ (राज.)
हा.मु. 8 प्रिस यशवंत रो़ड इन्दौर (म.प्र.) ––– प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार उर्फ ऋषभ कुमार पिता भंवरलाल महाजन
निवासी कालाखेत मंदसौर तह व जिला मंदसौर
2. सुशील पिता राजमलजी जैन
निवासी गुलमोहर कालोनी के पास नाहर सैयद रोड मंदसौर
3. दिपेश पिता चमनसिंहजी नेन जाति जाट
निवासी बाहदरी फार्म सीतामउ फाटक मन्दसौर
4. प्रतिक पिता अनिलकुमार भण्डारी
निवासी कालाखेत मंदसौर
हाल मुकाम बासवाडा जेल राजस्थान ––– विपक्षी

R. M. श्री गोपालकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 26/3/2018

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म०प्र० भुराजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिंनांक–19/02/18 प्रकरण कमांक–50 अ6/16–17 न्यायालय तहसीलदार तहसील दलौदा जिला मन्दसौर।

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी अवधी में अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्नलिखीत आधारो पर निम्न प्रकार प्रस्तुतं है।

1. यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एंव प्रकरण के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं करने में भूल की है।

3. यह वि: अधिनस्थ न्यायालय का यह मत की स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने से प्रार्थी का नामान्तरण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है त्रुटिपुर्ण है नामान्तरण के प्रकरण में न्यायालय को स्वत्व के प्रश्न पर निर्णय करने का पुर्ण अधिकार हैं।

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2384/2018/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को **भेजा** जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 **को** कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	